

कार्यालय निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्थान्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या-4डी(1)/148/2016 / कार्यालय ज्ञाप//

लखनऊ: दिनांक 07 /08/2023

आ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-सी-35634/2022 Uttar Pradesh Medical And Public Health Ministerial Association And Another Vs. State of Uttar Pradesh And 3 Others में
आ० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2023 को आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसका आपरेक्षि पार्ट निम्नवत है:-

As prayed, list/put up this case in the additional cause list before appropriate Bench on 31.05.2023.
Interim order, if any, granted earlier is extended till the next date fixed.

Order Date :- 24.5.2023

आ० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 24.05.2023 एवं अन्तरिम आदेश दिनांक 25.1.1. 2022 के अनुपालन में शासन के निर्देश पत्र संख्या-5-4099/823/2022-4-1/226947/2022, दिनांक 19.10.2022 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में यू०पी० मौडिकल एडू पब्लिक हेल्प मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, ३०प्र० का राज्य-स्तरीय हिवार्षिक अधिवेशन/युनाव की संशोधित तिथि दिनांक 09.09.2023 (शनिवार) एवं 10.09.2023 (रविवार) को राज्य मुख्यालय (लखनऊ) में निर्धारित की जाता है। दिनांक 09.09.2023 को द्वितीय शनिवार एवं दिनांक 10.09.2023 को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण उक्त दोनों तिथियों में सम्बन्धित कार्मिकों को जनपद-मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त अवकाश से जनपद दरर पर चिकित्सकीय सेवाओं से सम्बन्धित राजकीय कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.07.2023, 07.06.2023, 12.05.2023, 05.04. 2023, 06.03.2023, 07.02.2023, 18.01.2023, 27.12.2022, 10.11.2022, 05.12.2022 एवं 15.12.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.11.2022 की शेर्ष शर्तें यथावत रहेंगी।

(हा० राजागणपति आर०)
आई०ए०ए०स०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/148/2016/ 4327-34 तददिनांक:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
मुख्य न्यायी अधिकारी आ० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्ड पीठ।
1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अब्दुभाग-4
2. निदेशक (चिकित्सा उपचार), द्वारास्थ सेवा महानिदेशालय, ३०प्र० लखनऊ को इस आशय से उक्त कार्यालय ज्ञाप को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का काढ करें।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा द्वारास्थ एवं परिवार कल्याण, ३०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को समस्त जनपद/इकाईयों में प्रसारित करना सुनिश्चित करें।
4. डा० अरविंद कुमार श्रीवास्तव अपर निदेशक (प्रशासन)/पर्यवेक्षक, द्वारास्थ सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
5. डा० अरविंद कुमार, संयुक्त निदेशक (मुख्यालय परिधगत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ३०प्र० लखनऊ।
6. समस्त नियंत्रक अधिकारी, चिकित्सा द्वारास्थ एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त कार्मिक परिधगत-लिपिक-संवर्ग, चिकित्सा द्वारास्थ एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा नियंत्रक अधिकारी/विभागीय वेबसाइट।

(हा० राजागणपति आर०)
आई०ए०ए०स०
निदेशक (प्रशासन)

